न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—520/2016/223 (2016/00520)

1. सुलतान पुत्र नूरा,
2. निजाम पुत्र सुल्तान,
3. उस्मान पुत्र सुल्तान,
4. पप्पू पुत्र सुल्तान,

समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम लसाणी प्रथम, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती धापू पत्नि घीसा, जाति रावत, निवासी ग्राम लसाणी प्रथम, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 7.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 157/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट।
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 14.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188, 88, 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा लसानी प्रथम पटवार हल्का लसाड़िया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नया नगर में स्थित खसरा नंबर 393 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 396 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमियां वादिया व अन्य सहखातेदारान की आराजी है जिसमें कोई विवाद नहीं होने के कारण उपरोक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, वादिया व अन्य सहखातेदारान के मध्य आपसी बाहमी बंटवारा होकर काबिज काश्त है, एवं उपरोक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 393 में 11/2 हिस्सा निहित है इसी प्रकार खसरा नंबर 393 में वादिया का 1 हिस्सा निहित है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में एंकाकी कब्जा व उपभोग वादिया का चला आ रहा है । विवादित आराजी के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 खातेदार है एवं न ही किसी प्रकार से उनका कब्जा काश्त है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एक राय होकर वादिया की

उपरोक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से दिनांक 18.12. 2014 को आये ओर जबरन हल चलाने की कोशिक करने लगे तो उपरोक्त वादिया व उसके परिवार वालों ने वादग्रस्त आराजी पर मौजूद थे जिन्होंने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने से रोका और मना किया । इस कारण वादिया का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.2.2015 को वादिया व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट करके विवादित आराजियात पर कब्जा कर लिया । अतः वाद स्वीकार कर वादिया को विवादित आराजियात का कब्जा काश्त सौंपा जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे एवं प्रतिवादीगण से 5000/—रू0 प्रति माह की दर से वादिया को आर्थिक नुकसान जो हुआ दिलवाया जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7.6.2016 द्वारा वादिया/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि का कब्जा वादिया को दिलवाये जाने के आदेश पारित कर प्रतिवादीगण/अपीलांट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित। अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 23.12.2014 को मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी करने का आदेश पारित कर तारीख पेशी दिनांक 18.2.20156 नियत की । दिनांक 18.2.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन पर उसके स्वंय के द्वारा नोटिस पढ़कर लेने से इंकार तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 मौके पर उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 सुल्तान जो कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता है के द्वारा नोटिस पढ़कर लेने से इंकार करने की रिपोर्ट पर अधी0न्याया0 ने उक्त तामील को तामील मानकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.4.2015 नियत कर दी । उक्त नोटिसों में जो तामील रिपोर्ट दर्शायी गई है उसमें मजकूरी व तहसीलदार ने सम्मन अदम तामील दिनांक 15. 2.2015 को बताये है, और मजकूरी के द्वारा यह लिखा गया है कि मौके पर पहुंचा अप्रार्थी हाजिर नोटिस पढकर लेने से इंकार लिखा गया है जबकि कब मौके पर पहुंचे, कितनी बजे पहुंचे, किसने मजकूरी को अपीलार्थी सुल्तान को बताया ओर किस स्थान पर उसने पढ़कर लेने से इंकार किया यह अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने अपूर्ण तामील को तामील मानने में त्रुटि कारित की है । तामीलकुनिन्दा ने अपीलांट संख्या 2 से 4 को तलाश न कर उन पर व्यक्तिगत तामील नहीं कराकर झूंठी रिपोर्ट उसके पिता को देने बाबत् अंकित की है । बहस में आगे कथन किया कि यदि सुल्तान ने यदि नोटिस लेने से इंकार किया तो तामील कुनिन्दा को चस्पानगी के आदेश प्राप्त कर चस्पानगी से तामील करानी चाहिये थी । अधी0न्याया0 ने वादी की साक्ष्य लिये बिना वाद को कैम्प कोर्ट में डिक्री किया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी । यह भी कथन किया कि कैम्प कोर्ट में केवल वे ही प्रकरण रखे जा सकते है जिनमें पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं था । वादी ने विवादित भूमियों के अन्य सहखातेदारों का वाद में पक्षकार नियुक्त नहीं किया है जिससे भी वाद संधारण योग्य नहीं था । वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष बाहमी बंटवारे का कथन किया है किन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अधी0न्याया0 के

समक्ष पेश नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र वादपत्र एवं संशोधित वादपत्र के आधार पर तथा जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 पर बिना प्रदर्श मार्क हुए उनको देखकर निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । खसरा नंबर 393 व 396 की भूमियों का सौदा घीसा उर्फ घीसासिंह व लाला पि0 रामा से हुआ था जिसको उन्होंने दिनांक 20.7.1993 को अपीलांट सुल्तान के हक में बेचान करने का इकरार 40,000/—रू0 में किया था तब से विवादित भूमि पर अपीलांट सुल्तान काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलांट सुल्तान ने स्पेसिफिक परफोरमेंस का दावा भी सक्षम सिविल न्यायालय में कर रखा है जिसमें अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया है । विवादित भूमियों पर धापू का कब्जा काश्त नहीं है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस को अधी0न्याया0 के नोटिस तामील नहीं हुए थे जिससे वे अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश नहीं कर सके एवं निर्णय व डिक्री की भी जानकारी इसी कारण नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम अपीलांटस को तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नोटिस दिनांक 30.11.2016 को तामील होने पर हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियों हेतु दिनांक 30.11.2016 को आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 8.12.2016 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के नोटिस अपीलांट/प्रतिवादीगण को तामील हो गये थे इसके बावजूद वे जानबूझकर अनुपस्थित रहे इसीलिये उनके विरूद्ध विधिसम्मत् रूप से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 396 में रेस्पो0 का 11/2 हिस्सा निहित है तथा खसरा नंबर 393 में भी रेस्पो0 का एक हिस्सा है । विवादित आराजीयात का पूर्व में पक्षकारों के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका था जिसके अनुसार मौके पर काबिज काश्त है । इसके बावजूद अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा बिना अधिकारिता के वादी/रेस्पो0 के हिस्से की आराजियात में दखलदांजी करने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को जारी नोटिस कभी भी अपीलांटस को तामील नहीं हुए बल्कि तामील कुनिन्दा ने गलत रिपोर्ट अंकित कर

अधी0न्याया0 को नोटिस लौटाये है जिनको अधी0न्याया0 ने उचित तामील मानने में त्रुटि कारित की है । हम इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस के इस तर्क से सहमत है कि तामील कुनिन्दा को नोटिस लेने से इंकार करने पर नोटिस की पुस्त पर जो रिपोर्ट अंकित की है उसमें स्थान एवं समय का अंकन नहीं किया तथा न ही तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर ही है । जबकि तामील कुनिन्दा को नोटिस पर अपनी रिपोर्ट में इन सब तथ्यों का अंकन करना आवश्यक था इसके अभाव में तामील को उचित तामील मानकर अपीलांटस के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यदि अपीलांटस द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया था तो अधी0न्याया0 को चाहिये था कि के आदेश प्रदान कर चस्पानगी के जरिये नोटिस तामील करवाते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित किया है । जबकि कैम्प कोर्ट में केवल वे ही प्रकरण रखे जा सकते है जिनमें पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ था यहां तक कि अपीलांटस/प्रतिवादीगण को नोटिस तामील होना भी संदेहास्पद है । अधी0न्याया0 को समुचित तामील के प्रयास के उपरांत ही अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.6.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस/प्रतिवादीगण को जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 14.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर